

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड के

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूचना –

(The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions)

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड की अभी कोई नियमावली नहीं बनी है। लोक प्राधिकारी एवं उसके कर्मियों द्वारा कर्तव्यों के निर्धारण व निर्वहन के संबंध में निर्णय उत्तराखण्ड शासन, प्रबन्धकारिणी समिति एवं अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है।

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

: मुख्यालय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर से कार्यालय में तथा जनपद समन्वयक कार्यालय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उनके कार्यालय में अनुरक्षित रखे जाते हैं।

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु पता

: पता – निदेशक ,जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल-गोपेश्वर (चमोली), उत्तराखण्ड

दूरभाष – 01372-254273 (का.)

फैक्स – 01372-254210

ई.मेल – directorhrdiuk@gmail.com

director_hrdi@yahoo.com

अन्य –

1. जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, जनपद चमोली। दूरभाष न० – 9412364743।
2. जनपद समन्वयक कार्यालय, जड़ी बूटी एवं विकास शोध संस्थान, भेषज भवन,

मनेरा, उत्तरकाशी, दूरभाष न० –
9997907934 ।

3. जनपद समन्वयक कार्यालय जड़ी बूटी
एवं विकास शोध संस्थान, विकास भवन,
पिथौरागढ़ दूरभाष न० – 9412059390 ।

नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख
की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) :

रु० 10.00 प्रार्थनापत्र की फीस
रु० 2.00 प्रति पृष्ठ,
रु० 50.00 प्रति सी.डी. /फ्लोपी